<u>आवेदन पत्र</u>

<u>(संलग्नक–1)</u>

<u>कोविड–19 के संक्रमण–काल में निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु आवेदन पत्र</u>

1– फर्म/बिल्डर का नाम व पता/मोबाईल सं0 :– ....

....

2– परियोजना/कार्यस्थल का नाम व पता :– ....

....

....

....

3– साईट इंचार्ज/प्रबन्धक का नाम व पता ....

....

4– अनुबन्ध/परमिट संख्याः– ....
(अनिवार्य रूप से कार्यादेश प्रपत्र/स्वीकृत मानचित्र की प्रति संलग्न करें)

5– श्रमिकों की संख्या पंजीकृत ....अपंजीकृत. ....कुल.............

नोट :– ई0एस0आई0/पी0एफ0/अन्य दस्तावेज जो कुल कार्मिकों का विवरण प्रदर्शित करता हो तथा 50 प्रतिशत श्रमिकों के नाम की सूची (आधार संख्या सहित) संलग्न करें।

6– श्रमिकों की संख्या, जिनके द्वारा परिसर में प्रवास किया जायेगा :–...............
(सूची संलग्न करें)

7– थर्मल स्कैनिंग तथा निर्माण परिसर को सेनिटाईज्ड करने हेतु की गयी व्यवस्था का विवरण ....

....

....

8– कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु की जाने वाली व्यवस्था

....

....

....

9– ठेकेदार/बिल्डर का स्वतः प्रमाणित घोषणा पत्र साथ में प्रस्तुत किया जायें।

<u>शर्ते :–</u>

1. परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशक स्प्रे के माध्यम से अनिवार्य रूप विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

2. श्रमिकों हेतु भरण पोषण, मास्क एवं सैनिटाईजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेगी तथा श्रमिकों के सम्पर्क में आने वाली/बाहर जाने वाली समस्त वस्तुओं को सैनिटाईज्ड कराया जायेगा। किसी भी व्यवस्था में श्रमिकों का इकाई परिसर से बाहर आना जाना नही होगा।

3. हाथ धोने और सैनेटाईजर के लिये व्यवस्था की जायेगी, जो स्पर्श मुक्त तंत्र को वरीयता के साथ सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जायेगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

4. कार्य स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अनुपालन तथा फेस मास्क व फेस कवर का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, कार्य स्थल पर तम्बाकू का सेवन एवं यत्र–तत्र थूकने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. कार्य स्थल पर आने वाले श्रमिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर/थर्मल स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। हर एक पाली के उपरान्त कार्य स्थल को सैनेटाईज किया जायेगा।

6. किसी श्रमिक में किसी प्रकार के बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल गाजियाबाद प्राधिकरण/जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जायेगा तथा उसके सम्पूर्ण इलाज का उत्तरदायित्व इकाई स्वामी की होगी।

7. निर्माण कार्य के लिये आने वाला कोई भी कर्मचारी Hotspot/Cluster के Containment Zone से सम्बन्धित नही होना चाहिये।

8. आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के सुंसगत प्राविधानों को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. निर्माण स्थल पर श्रमिकों के अतिरिक्त अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

10. निर्माण स्थल पर सम्बन्धित क्षेत्र में कोविड–19 हेतु नामित स्वास्थ्य अधिकारियों/अस्पतालों के नाम एवं सम्पर्क सूची प्रत्येक समय स्थल पर उपलब्ध रहेगी।

11. कार्मिकों/श्रमिकों के लिये चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जायेगा।

12. संविदाकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिक, जिसके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, उनके फोन में "**<u>आरोग्य सेतु ऐप</u>**" Installed हो तथा वे ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें।

13. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020/डीएम–1(ए) दिनांक 01.05.2020 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन पत्र संख्या 381/सीएक्स–3 गृह गोपन अनुभाग दिनांक 03.05.2020 में Construction (In Situ) हेतु निर्धारित प्रतिबन्धों एवं निर्देशों का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. भारत सरकार/राज्य सरकार/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन, गाजियाबाद द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

फर्म को उक्त शर्तों के अधीन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रस्तुत है। कृपया अनुमति देने का कष्ट करें।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

फर्म का नाम व मुहर

मोबाईल नम्बर ....

दिनांक :–

ई–मेल आई0डी0 ....

(संलग्नक–2)

फर्म/बिल्डर द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप

घोषणा :– मैं ....फर्म का नाम...का प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर घोषणा करता हूँ कि :–

1– निर्माण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जायेगा।

2– निर्माण स्थल के गेट पर सभी कार्मिकों की आते–जाते वक्त थर्मल स्कैनिनंग की जायेगी, जिसका लॉगबुक में रिकार्ड अंकित किया जायेगा तथा जांच अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

3– निर्माण परिसर एवं आस–पास के क्षेत्र को 06 घण्टे के समयान्तराल पर लगातार सेनिटाईज्ड किया जाता रहेगा तथा सभी कार्मिकों को मास्क/कपडे से चेहरा ढक कर ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक कार्मिक को साबुन/सेनिटाईजर दिया जायेगा।

4– कार्मिकों के खान–पान, अल्पाहार आदि की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही की जायेगी।

5– श्रमिकों को नियमित रूप से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

6– कार्य स्थल पर कोविड–19 हेतु जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित मैडिकल कंट्रोल रूम का फोन नम्बर प्रदर्शित करते हुये बोर्ड लगाया जायेगा।

7– कार्य स्थल पर कोविड–19 के लिये अधिकृत नजदीकी अस्पताल/नर्सिंग होम आदि की सूची कार्य स्थल पर डिस्प्ले की जायेगी।

8– किसी कार्मिक/श्रमिक में किसी प्रकार के बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर मेरा यह दायित्व होगा कि मैं इस सम्बन्ध में तत्काल जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित करूँगा।

9– मैं आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 तथा मुख्य सचिव के शासनादेश सं0–974/77–6–20–एल0सी08/2019टी0सी0 दिनांक 16.04.2020 में दिये गये निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन सुनिश्चित करुंगा।

10– स्थल पर उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व मेरा होगा।

संलग्न प्रपत्र

(i)

(ii)

(iii)

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

फर्म का नाम व मुहर

मोबाईल नम्बर ....

दिनांक :– ई–मेल आई0डी0 ....

(संलग्नक–3)

सेनिटाइजेशन हेतु मानक :–

क्र0 सं0	सामान की सूची	स्टोर में	ऑफिस में	श्रमिकों हेतु निर्माण स्थल पर
1	हैण्ड सेनिटाईजर (न्यूनतम 60 % एलकोहेल)	सभी प्रवेश द्वारों पर 1 बोतल (500मिली0) नियमित आधार पर रिफिल किया जायेगा।	सभी प्रवेश द्वारों पर 1 बोतल (500मिली0) नियमित आधार पर रिफिल किया जायेगा।	सभी प्रवेश द्वारों पर 2 बोतल (500मिली0) नियमित आधार पर रिफिल किया जायेगा।
2	एल्कोहेलयुक्त साबुन सॉल्यूशन	टेबल आदि की सफाई हेतु 1 बोतल (500मिली0)	टेबल आदि की सफाई हेतु 1 बोतल (500मिली0)	निर्माण स्थल के प्रवेश पर 2 बोतल (500मिली0), नियमित आधार पर रिफिल किया जायेगा।
3	साबुन (100 ग्राम)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार